

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
आदराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी 28 पीबीएन तहसील सूरतगढ़ आदि
बनाम

पृथ्वीसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर आदि
कस्म मुकदमा:-अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं.-16/2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर य तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हए

28.11.2022

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फेरीकेन हाजिर। अधिवक्ता अपीलांत ने सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि चक 28 पीबीएन वी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 38/348 किला न. 5 की 0.117 है 0 नहरी में से 0.098 है 0 किला न. 6 की 0.138 है 0 में से 0.115 कुल 0.213 है 0 अर्थात् 2130 वर्गमीटर भूमि में से खाला की भूमि तक रूपांतरण आदेश निरस्त करवाने बाबत हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस खाला के आगे के मुरब्बा न. में अपीलांत की भूमि है। इसी अपीलाधीन खाला की भूमि से ही प्रार्थी की भूमि में सिंचाई सुविधा मिलती है। अतः खाला की भूमि रूपांतरण होने से अपीलांत के हितो पर सीधा प्रभाव पडा है तथा अपीलांत के हित प्रभावित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर जारी किया है। अपीलांत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अनुमति प्रदान करे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांत की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रकरण मे जल संसाधन विभाग द्वारा ही अपील पेश की जानी चाहिए थी, ना कि अपीलांत द्वारा। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2006 (1) पेज 860 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि अपीलांत को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपीलांत जैर अपील आदेश से प्रभावित नहीं है। हस्तगत अपील संपरिवर्तन आदेश के विरुद्ध पेश की गई है जो शुरु से ही शून्य है, क्योंकि संपरिवर्तन आदेश की कोई अपील नहीं होती। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांत खारिज की जावे। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 (2) पेज न. 1228 की ओर ध्यान दिलाया।

अधिवक्ता अपीलांत ने जवाब बहस में कथन किया कि भू-रूपांतरण नियम 2007 के नियम 4 (डी) के अनुसार गांव के तालाब, झील, नाला, नदी की भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता चाहे वह गांव के राजस्व नक्शा या राजस्व रिकार्ड में अंकित ना हो तो भी उक्त भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015 (2) पेज 1177 एवं आरआरटी 2014-15 पेज 528 अनुसार रूपांतरण आदेश अपील योग्य है। अपीलांत की भूमि इस खाला के आगे के मुरब्बा न. में अपीलांत की भूमि है। इसी अपीलाधीन खाला की भूमि से ही प्रार्थी की भूमि में सिंचाई सुविधा मिलती है। अतः खाला की भूमि रूपांतरण होने से अपीलांत के हितो पर सीधा प्रभाव पडा है तथा अपीलांत के हित प्रभावित हुए है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015 (2) पेज 1177 एवं आरआरटी 2014-15 पेज 528 अनुसार रूपांतरण आदेश अपील योग्य है। अपीलांत की भूमि इस खाला के आगे के मुरब्बा न. में अपीलांत की भूमि है। इसी अपीलाधीन खाला की भूमि से ही प्रार्थी की भूमि में सिंचाई सुविधा मिलती है। अतः खाला की भूमि रूपांतरण होने से अपीलांत के हितो पर सीधा प्रभाव पडा है तथा अपीलांत के हित प्रभावित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत सुना भी नहीं गया है। अपीलांत हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार साबित होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलांत ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड हनुमानगढ़ में विचाराधीन कार्यवाही के दौरान हुई। उनके निर्णय से उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को दिनांक 27.9.2021 को निवेदन करने के कारण अपीलांत उपखण्ड अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)





के आदेश की प्रतिष्ठा करते रहे। वहां से अपील का मौखिक निर्देश मिलने पर अपीलांत ने दिनांक 24.01.2022 को अपीलाधीन आदेश की प्रति के लिए निवेदन किया तथा दिनांक 01.02.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील दायर कर दी। अपीलांत द्वारा जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 सीपीसी पर अपीलांत की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि हस्तगत अपील लगभग 6 वर्ष पश्चात पेश की गई है। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2016 (1) पेज न. 228 में पेश कर निवेदन है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह माना है कि इतने समय बाद विलम्ब उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया चाहिए अन्यथा यह मियाद के कानून को निर्थक एवं फालतु बना देगा। विलम्ब माफ करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज करते हुए अपीलांत खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांत ने जवाब बहस में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1989 पेज 45 की ओर ध्यान दिलाकर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि विरुद्ध है और ऐसे निर्णयों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। भू-रूपांतरण नियम 2007 के नियम 4 (डी) के अनुसार गांव के तालाब, झील, नाला, नदी की भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता चाहे वह गांव के राजस्व नक्शा या राजस्व रिकार्ड में अंकित ना हो तो भी उक्त भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाला की भूमि का रूपांतरण कर दिया जो विधि विरुद्ध है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1989 पेज 45 अनुसार विधि विरुद्ध पारित निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। जिसका रेस्पोंडेंटगण द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब तथा कोई प्रति शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अपीलांत द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। अतः प्रकरण का निस्तारण हम गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। अतः अपीलांत द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में गुणावगुण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांत ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र बिना मौके देखे ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खाला की भूमि का संपरिवर्तन आदेश पारित कर दिया, जो नियम विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश में रूपांतरित की गई भूमि में से किला न. 5 में खाला की भूमि तक का रूपांतरण निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नियम 26 के दौरान संवत् 2035 ता 44 तक की तैयार की गई जमाबंदी में चक 28 पीबीएन 'बी' के पत्थर न. 38/348 के किला न. 1 ता 5 में कोई रास्ता नहीं है तथा पत्थर न. 40/348 के किला न. 1 ता 5 में भी खाला नहीं है। जब राजस्व रिकार्ड में ही खाले का कोई अंकन नहीं है तो तहसीलदार, सूतगढ़ का संपरिवर्तन आदेश नियमानुसार सही है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांत ने जवाब बहस में कथन किया कि भू-रूपांतरण नियम 2007 के नियम 4 (डी) के अनुसार गांव के तालाब, झील, नाला, नदी की भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता चाहे वह गांव के राजस्व नक्शा या राजस्व रिकार्ड में अंकित ना हो तो भी उक्त भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाला की भूमि का रूपांतरण कर दिया जो विधि विरुद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.10.2016 निरस्त किया जावे।


हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपनी कृषि भूमि चक 28 पीबीएन बी तहसील सूतगढ़ के पत्थर न. 38/348 के किला न. 5 की 0.117 है० नहरी में से 0.098 है०, किला न. 6 की 0.138 है० में से 0.115 है० कुल 0.213 है० अर्थात् 2130 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि से अकृषि आवासीय रूपांतरण हेतु आवेदन किया। जिस पर तहसीलदार, सूतगढ़ ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवायी। किला न. 5 की 0.117 है० नहरी भूमि में खाला स्थित खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा इसकी रिपोर्ट नहीं की गई। तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही तहसीलदार सूतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। परन्तु प्रकरण में तहसीलदार (राजस्व), सूतगढ़ से मंगवाई गई मौका रिपोर्ट अनुसार चक 28 पीबीएन के प०न० 38/348 के किला न. 4, 5 में मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी आवासीय भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूतगढ़ (श्री गंगानगर)

दर्ज रिकार्ड है, वर्तमान में मौके पर जलमार्ग (खाला) बना हुआ है जिस पर एक पक्की पुली भी बनी हुई है। जिससे यह साबित है किला न. 4, 5 में मौका पर जलमार्ग (खाला) बना हुआ है। भू-रूपांतरण नियम 2007 के नियम 4 (डी) के अनुसार निम्न भूमियों का रूपांतरण नहीं किया जा सकता - " Land falling under catchment areas of a tank or village pond, river, nala, tank, lake or land used as pathway to any cremation or burial ground of village pond, even if not so recorded in the village revenue map or revenue record. " परन्तु तहसीलदार, सूरतगढ़ ने विधि विरुद्ध जाकर खाला की भूमि का भी रूपांतरण कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर चक 28 पीबीएन बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 38/348 के किला न. 5 की 0.117 है० नहरी में से 0.098 है०, किला न. 6 की 0.138 है० में से 0.115 है० कुल 0.213 है० अर्थात् 2130 वर्गमीटर में से किला न. 5 में खाला की भूमि का रूपांतरण निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया है कि अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ के निर्णय/आदेश क्रमांक राजस्व/2021/2002 दिनांक 27.09.2021 की पालना में चक 28 पीबीएन बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 38/348 के किला न. 4, 5 में जलमार्ग की भूमि को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करें। चूंकि शेष रूपांतरित भूमि के आवागमन को बन्द किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होगा, अतः उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि खाले में पानी के प्रवाह को रोका नहीं जाये तथा शेष रूपांतरित भूमि में जाने के लिए आवागमन के रास्ते को बन्द नहीं करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को आवश्यक कार्यवाही/नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द कुमार जाखड़)
असिस्टेंट जिला कार्यालय
सूरतगढ़ (तहसील नगर)

